अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आर.टी.आई. प्रकोष्ठ)

फा.सं.35-17/2017/(विविध)/आर.टी.आई.-स्था.-।

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 दिनांक: **1**7 MAY **2019**

ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एम्स में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के नामांकन संबंधी।

उपर्युक्त विषयक विभिन्न ज्ञापनों के अधिक्रमण में, अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एम्स, नई दिल्ली में विभिन्न विभागों/अनुभागों/केन्द्रों के लिए निम्नलिखित संकाय सदस्यों/अधिकारियों को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सहर्ष नामित किया गया है। प्रत्येक विभाग के लिए नामित अधिकारियों/संकाय सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:-

큙.	विभाग/केन्द्र का नाम	नामित केन्द्रीय जन	नामित सहायक केन्द्रीय जन	नामित प्रथम अपीलीय
सं.		सूचना अधिकारी का नाम	सूचना अधिकारी का नाम	प्राधिकारी का नाम
1	हिंदी अनुभाग	श्री प्रेम सिंह तोमर,	श्री प्रमोद कुमार,	श्री धीरेन्द्र वर्मा,
		वरिष्ठ हिंदी अधिकारी	हिंदी अधिकारी	उप सचिव एवं राजभाषा
				अधिकारी
2	लेखा परीक्षा अन्भाग	पहले से मौजूद है	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा,	पहले से मौजूद है
		_	लेखा अधिकारी	
3	शरीर क्रिया विज्ञान	डॉ. अस्मिता पाटिल,	डॉ. नसरीन अख्तर,	डॉ. के.पी. कोचर,
		सहायक आचार्य	सहायक आचार्य	आचार्य
4	डॉ.रा.प्र.केन्द्र	श्री चक्रवर्ती ई.वी.एस.,	प्रस्तावित नहीं है	पहले से मौजूद है
		प्रशासनिक अधिकारी		

इसे उप निदेशक (प्रशा.), एम्स, नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(लित उरांव)

प्रशासनिक अधिकारी एवं

नोडल केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

वितरण:

- 1) सभी संबंधित अधिकारीगण।
- 2) अध्यक्ष-अस्पताल प्रबंधन बोर्ड।
- 3) चिकित्सा अधीक्षक।
- 4) सभी केन्द्र प्रमुख/विभागाध्यक्षा/अनुभाग/एकक/शाखा के अधिकारीगण।
- 5) प्रभारी संकाय, मीडिया केन्द्र।
- 6) प्रभारी आचार्य (कम्प्यूटर सुविधा), एम्स- इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त नामित अपीलीय प्राधिकारियों, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों एवं सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।
- 7) अधीक्षण अभियंता महोदय, एम्स इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त नामित अपीलीय प्राधिकारियों, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के नामों को एम्स आर.टी.आई. सूचना पट्ट पर मुद्रित करा दिया जाए।
- 8) निदेशक/संकायाध्यक्षा/उप-निदेशक(प्रशा.)/विरष्ठ वित्त सलाहकार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- 9) सभी सूचना पट्ट।
- 10) संबंधित अधिकारियों की वैयक्तिक फाइल।
- 11) गार्ड फाइल।

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

(RTI CELL)

No.F.35-17/2017/(MISC)/RTI-Estt.I

Ansari Nagar, New Delhi-29

Dated: 07.05.2019

MEMORANDUM

Subject: Nomination of Central Public Information Officer, Assistant Central Public Information Officer & First Appellate Authority under Right to Information Act at AIIMS.

In Supersession of the various Memorandums on the subject cited above. The undersigned is directed to inform that the competent authority is pleased to designate/ nominate the following Faculty Members/Officers as Central Public Information Officer, Assistant Central Public Information Officer & First Appellate Authority for the various Departments/Section/Centre, AIIMS, New Delhi under Right to Information Act. The name of the designated Officers/Faculty Members for individual Departments are as under:-

s. NO.	Name of the Department/ Centre	Designated name for Central Public Information Officer	Designated name for Assistant Central Public Information Officer	Designated name for First Appellate Authority
1.	Hindi Section	Shri Prem Singh Tomar, Sr. Hindi Officer	Shri Pramod Kumar, Hindi Officer	Shri Dhirendra Verma, Deputy Secretary & Rajbhasa Adhikari
2.	Audit Section	Already is in existing	Shri Subhash Chandra Sharma, Accounts Officer	Already is in existing
3.	Physiology	Dr. Asmita Patil Associate Professor	Dr. Nasreen Akhtar Assistant Professor	Dr. K.P. Kochhar Professor
4.	Dr. R.P. Centre	Shri Chakravarthy E.V. S. , Administrative Officer	Not proposed	Already is in existing

This issue with the approval of Deputy Director (Admn.), AIIMS, New Delhi

Hindi version will follow.

(LALIT ORAON)

ADMINISTRATIVE OFFICER & NODAL CPIO

DISTRIBUTION:

- Officer Concerned.
- 2) The Chairman Hospital Management Board.
- The Medical Superintendent.
- 4) All the Chiefs of Centres/Head of the Departments/Sections/Unit/Branch Officers.
- 5) The Faculty In-charge, Media Centre.
- 6) Prof: In-charge (Computer Facility), AIIMS with a request to upload list of aforesaid designated Appellate Authority, Central Public Information Officer & on the website of the Institute.
- Superintending Engineer, AIIMS with the request to get printed the name of aforesaid designated Appellate Authority, Central Public Information Officer & on the AIIMS RTI signboard.
- 8) The P.S. to Director/Dean/DD (A)/Sr. F.A./CAO.
- All Notice Boards.
- 10) Personal File of Officers concerned.
- 11) The Guard File.